संख्या- 126/2018/1804/30-3-18-6बी/2014

प्रेषक,

वैभव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनॉक 27 जुलाई, 2018**

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 20-03-2018 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-584स0सु0/2018-09स0सु0/2018, दिनॉक 04-05-2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 20-03-2018 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सड़क सुरक्षा कोष (पूंजीगत मद) के मानक मद-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 991.10 लाख के सापेक्ष धनराशि रू० 975.00 लाख (रू० नौ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य हेतु उनके सम्मुख विवरण एवं धनराशि के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	प्रस्तावित कार्य	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4
1	प्रदेश के समस्त जनपदों में दो पहिया एवं हल्के मोर यान हेतु लाइसेंस सम्बन्धी इनडोर परीक्षण हेतु सिमुलेटर लगाये जाने तथा छः बडे शहरों में भारी मोटरयान हेतु सिमुलेटर लगाया जाना	800.00	800.00
2	उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की 2500 बसों में रू0 7000/- प्रति बस की लागत से जनहित में स्पीड गवर्नर लगाया जाना	175.00	175.00
	योग =	975.00	975.00 (रू० नौ सौ पचहत्तर लाख मात्र)

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय।

(2) क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो, वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(5) उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के पूंजीगत मद के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(वैभव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-126/2018/1804(1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।